भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3700
उत्तर देने की तारीख 25/03/2026

आरटीई प्रावधानों के बावजूद सरकारी विद्यालयों में शुल्क की वसूली

3700 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के बावजूद, एनएसएसओ (2025) द्वारा किए गए शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण से यह पता चला है कि लगभग 27 प्रतिशत छात्र सरकारी विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान कर रहे हैं;
(ख) क्या यह सच है कि कक्षा I से VIII तक नामांकित लगभग 8 प्रतिशत छात्र सरकारी विद्यालयों में औसतन ₹229 प्रति वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करते हैं; और
(ग) यदि हां, तो आरटीई अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्त पोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए, शुल्क संरचना सहित स्कूलों के प्रबंधन से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार की नियमावली और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। तथापि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों तक आरक्षण का अधिदेश और इसके पूरा होने तक ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

*****